(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

अपील-2168-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.01.2015 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2013-14

---

1. मुल्लू आ. श्री बाबूलाल
2. श्रीमती मेवाबाई पत्नी श्रीमुल्लू
3. भुजबल आ. श्री बाबूलाल
4. विनीताबाई पत्नी श्री भुजबल

निवासीगण ग्राम कजेला तह0 ग्यारसपुर
जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा मुख्तारआम
महेन्द्र सिंह आ. राम सिंह निवासी करैया
तह0 ग्यारसपुर जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अपीलार्थीगण**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन
जिलाध्यक्ष जिला विदिशा म.प्र. .....**प्रत्यर्थी**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर
अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(आज दिनांक 07/03/2018 **.....को पारित)**

यह निगरानी आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-42(2) के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि खसरा क्र. 35/1/1 रकवा 1.500 हे. कृषि योग्य न होने के कारण उक्त भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति हेतु एक आवेदन कलेक्टर विदिशा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर से प्रकरण तहसीलदार ग्यारसपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में अपीलार्थीगण को पट्टे पर दी गई भूमि कृषि योग्य न होने के कारण विक्रय करने की अनुमति दी जाना उचित मानते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर को प्रेषित किया जो दिनांक 01.09.2009 के द्वारा विक्रय करने की अनुमति प्रदाय करने की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन कलेक्टर विदिशा को प्रेषित किया गया। कलेक्टर विदिशा ने अपने आदेश दिनांक 25.03.2010 द्वारा अपीलार्थी का आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया। जिसके विरुद्ध आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2015 द्वारा अमान्य करते हुए कलेक्टर विदिशा का आदेश स्थिर रखे जाने का आदेश दिया। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.02.2015 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय चाहा गया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि के विक्रय का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है अभिलेख में संलग्न अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अनुबंध-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण उन्हें पट्टे पर प्रदाय भूमि को तो महेन्द्र सिंह किरार को विक्रय करना चाहते हैं, परंतु अपीलार्थीगण प्रश्नाधीन भूमि के बदले कौन सी और कितनी भूमि क्रय करेगें, इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं और ना ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अपीलार्थी द्वारा पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि विक्रय किए जाने हेतु कोई विधिक कारण नहीं दिए गए हैं।

उक्त् आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर